

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2024/491 बअनवान भारती सुथार बनाम रणजीत कुमार वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुये

तारीख हुक्म

26/03/26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 लगाये 17, 19 लगाये 21, 23 लगाये 30, 33 लगाये 40, 42 लगाये 47 बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी संख्या 18, 22, 31, 32, 41 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3901/2009 रकबा 0.2200 हैक्टर के बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

